न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/2025

अनवान :

रामचन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. विनोद पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. रोशनी पत्नी रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. प्रदीप पुत्र रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
7. सुमन पुत्री रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री भीम सहारण : **वादी**

वकील श्री कामरान खान: **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 15-10-25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 318/269 के ख0सं0 879 की 0.0510 है0 गैर मुम्किन, खसरा नं0 880 की 7.1850 है0 बारानी कुल खसरे 2 की 7.2360 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा सहीराम की खातेदारी हुआ करती थी जो सहीराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 [illegible] पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तन[illegible] [illegible]ई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में रामचन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट [illegible] कलाना तहसील [illegible] के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौज[illegible] कलाना जमाबंदी संवत [illegible]77 खाता संख्या 318/269 प्रदर्श 1, जमाबदी रोही मौजा कलाना जमाबंदी संवत 2046—2047 खाता संख्या 422/407 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 3, शपथ पत्र रामचन्द्र बाबत वारीसान प्रदर्श 4, प्रदर्शित करवाये गये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 318/269 के ख0सं0 879 की 0.0510 है0 गैर मुम्किन, खसरा नं0 880 की 7.1850 है0 बारानी कुल खसरे 2 की 7.2360 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारी अकेले की बजाऐ वादी रामचन्द्र, प्रतिवादी सं0 1 बनवारी, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष चन्द्र, प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 4 विनोद कुमार, प्रतिवादी सं0 5 रोशनी प्रत्येक को 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 318/269 के ख0सं0 879 की 0.0510 है0 गैर मुम्किन, खसरा नं0 880 की 7.1850 है0 बारानी कुल खसरे 2 की 7.2360 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारी अकेले की बजाऐ वादी रामचन्द्र, प्रतिवादी सं0 1 बनवारी, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष चन्द्र, प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 4 विनोद कुमार, प्रतिवादी सं0 5 रोशनी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़ंसरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/2025

अनवान :

रामचन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. सुभाष चन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. विनोद कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. रोशनी पत्नी रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. प्रदीप पुत्र रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
7. सुमन पुत्री रामस्वरूप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भीम सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कामरान खान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 318/269 के ख0सं0 879 की 0.0510 है0 गैर मुम्किन, खसरा नं0 880 की 7.1850 है0 बारानी कुल खसरे 2 की 7.2360 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारी अकेले की बजाऐ वादी रामचन्द्र, प्रतिवादी सं0 1 बनवारी, प्रतिवादी सं0 2 सुभाष चन्द्र, प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 4 विनोद कुमार, प्रतिवादी सं0 5 रोशनी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:42 IST
Reason: SelfAttested

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)